

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 41/2026

श्री महेश स्वामी पुत्र श्री मुरलीधर, निवासी एमआरएफ टायर्स एजेन्सी के सामने, सिंघाना, तहसील बुहाना,
जिला झुंझुनूं, राज० पिन कोड 333516, मो० नं० 8209113164

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 41/2026 पर दिनांक 06.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/361-362 दिनांक 06.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक आरटीआई/अपील/2026/142 दिनांक 24.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 30.12.2025 इस कार्यालय को जरिये डाक दिनांक 01.01.2026 को प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना के संबंध में आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई-1/2026/06 दिनांक 05.01.2026 एवं आंशिक सूचना तहसील कार्यालय बुहाना से संबंधित होने से कार्यालय तहसीलदार के पत्रांक आरटीआई/2026/37 दिनांक 03.02.2026 से जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक को वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवा/उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक आरटीआई/अपील/2026/142 दिनांक 24.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 30.12.2025 इस कार्यालय को जरिये डाक दिनांक 01.01.2026 को प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना के संबंध में आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई-1/2026/06 दिनांक 05.01.2026 एवं आंशिक सूचना तहसील कार्यालय बुहाना से संबंधित होने से कार्यालय तहसीलदार के पत्रांक आरटीआई/2026/37 दिनांक 03.02.2026 से जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक को वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवा/उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को बिन्दू सं० 1 से संबंधित सूचना तहसीलदार बुहाना द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं बिन्दू सं० 2 के क्रम में प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप नियमानुसार (फार्म नं० 18) प्रतिलिपि हेतु आवेदन (नियम 218) पेश कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं